

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ फौजदारी विविध याचिका संख्या 1336/2014

तेजसिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य

आदेश दिनांक :

07.03.2017

माननीय न्यायाधिपति श्री बनवारीलाल शर्मा

श्री वी के शर्मा, अधिवक्ता— याचीगण की ओर से।  
सुश्री अपेक्षा कालरा, अधिवक्ता वास्ते,  
श्री बी सी चिरानिया, अधिवक्ता— अयाची की ओर से।  
श्री अलादीन खान, लोक अभियोजक।

अधिवक्ता अयाची श्री बी सी चिरानिया की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री अपेक्षा कालरा ने उपस्थित होकर अवसर चाहा। प्रार्थनानुसार अवसर दिया जाता है।

प्रकरण दिनांक 25.03.2017 को पुनः सूचीबद्ध किया जावे, तब तक पूर्व में पारित अन्तरिम आदेश प्रभावी रहेगा।

(बनवारी लाल शर्मा)  
न्यायाधिपति